कार्यालयः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com&dfo-medininagar@gov.in Phone No-06562-222536

पत्रांक–935 दिनांक–04/05/26

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषयः– 132KV D/C छतरपुर से जपला तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु JUSNL द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन कर कुल 0.06 हे0 वनभूमि अतिक्रमण के संबंध में।

प्रसंगः– क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक FP/JH/TRANS/150441/2021/12 दिनांक 07.01.2025 एवं दिनांक 21.04.2026 को प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक FP/JH/TRANS/150441/2021/12 दिनांक 07.01.2025 द्वारा कुल–10 बिन्दुओं पर कारण पृच्छा की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 21.04.2026 को अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, प्राप्त अनुपालन को समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को अग्रसारित की जा रही है।

क्र0 सं0	EDS	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का मंतव्य
1	Compensatory Afforestation (CA) site Suitability certificate by the DFO.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा निर्गत Site Suitablity Certificate संलग्न है।
2	The DFO has stated vegetation density as 4 (i.c.400%) and Eco class 4 in part-2. The earlier figure may be corrected and the latter be elaborated on the basis of present forest type.	Vegetation density 0.4 तथा Eco Class 3 है तदनुसार Part-II के बिन्दु संख्या–4 (i) में आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टि दर्ज कर दी गयी है।

3	Total temporary employment as per online application is 185 only whereas the total employment generation as mentioned in CBA is different.	User Agency द्वारा समर्पित संशोधित Cost Benefit Analysis संलग्न समर्पित है।
4	Project cost mentioned in part-1 and the same used in Cost Benefit Analysis are different.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधन कर Cost Benefit Analysis समर्पित किया गया है।
5	Cost Benefit Analysis is apparently not correct.	संशोधित Cost Benefit analysis संलग्न है।
6	The KML of alternative route of transmission Line along with Land type Characterization.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Land type Characterisation of alternate land संलग्न है।
7	The comments of the State Forest Department, Nodal officer (FC) as well as concern DFO regarding actual tree felling, no. of trees proposed for trimming for the project are not submitted. Details in this regard may be uploaded.	Part-II के बिन्दु संख्या– 4(ii) में काटे जाने वाले Girth wise enumeration of tree अंकित है।
8	Undertaking/Comments of the User Agency regarding the implementation of Site-Specific Wildlife Management Plan.	User Agency द्वारा समर्पित undertaking संलग्न है।
9	AS the proposed route is crossing the highway, the NOC from NHAI/RCD/PWD is mandatory before issuance of Stage-I Approval.	User Agency द्वारा समर्पित अनापत्ति संलग्न है।
10	AS per DSS analysis, it appears that proposed forest land for diversion has been violated by user agency by way of starting the project related work in forest area, if yes then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation why forest department could not assess the violation while processing the application.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त परियोजना हेतु कुल 28 tower का अधिष्ठापन वनभूमि में किया जाना है। उक्त सभी tower की जांच श्री नवनीत बी0आर0, भा0व0से0, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर तथा अधीनस्थ वन क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा की गयी। जांचोपरान्त अधिसूचित वनभूमि (तुकतुका पी0एफ0) में कुल दो स्थानों पर tower erection हेतु 8 pillars (1.5’x1.5’x2’ आकार के) का निर्माण किया गया है, उक्त निर्माण के विरूद्ध वनवाद दायर किया गया है। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि में कुल 4 स्थानों पर 16 pillars (1.5’x1.5’x2’ आकार के) का निर्माण किया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के 6 स्थानों पर

		(1.5'x1.5'x2') आकार के 24 pillars का निर्माण कर कुल 0.06 हे0 वनभूमि पर कार्य किया गया है (प्रति Tower 0.01 हे0) झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के आदेश संख्या–2501 दिनांक 12.06.2013 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के मामलों में वाद दायर करने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 892 दिनांक 25.04.2026 द्वारा उपायुक्त से आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमंडल,मेदिनीनगर ।